# सबला

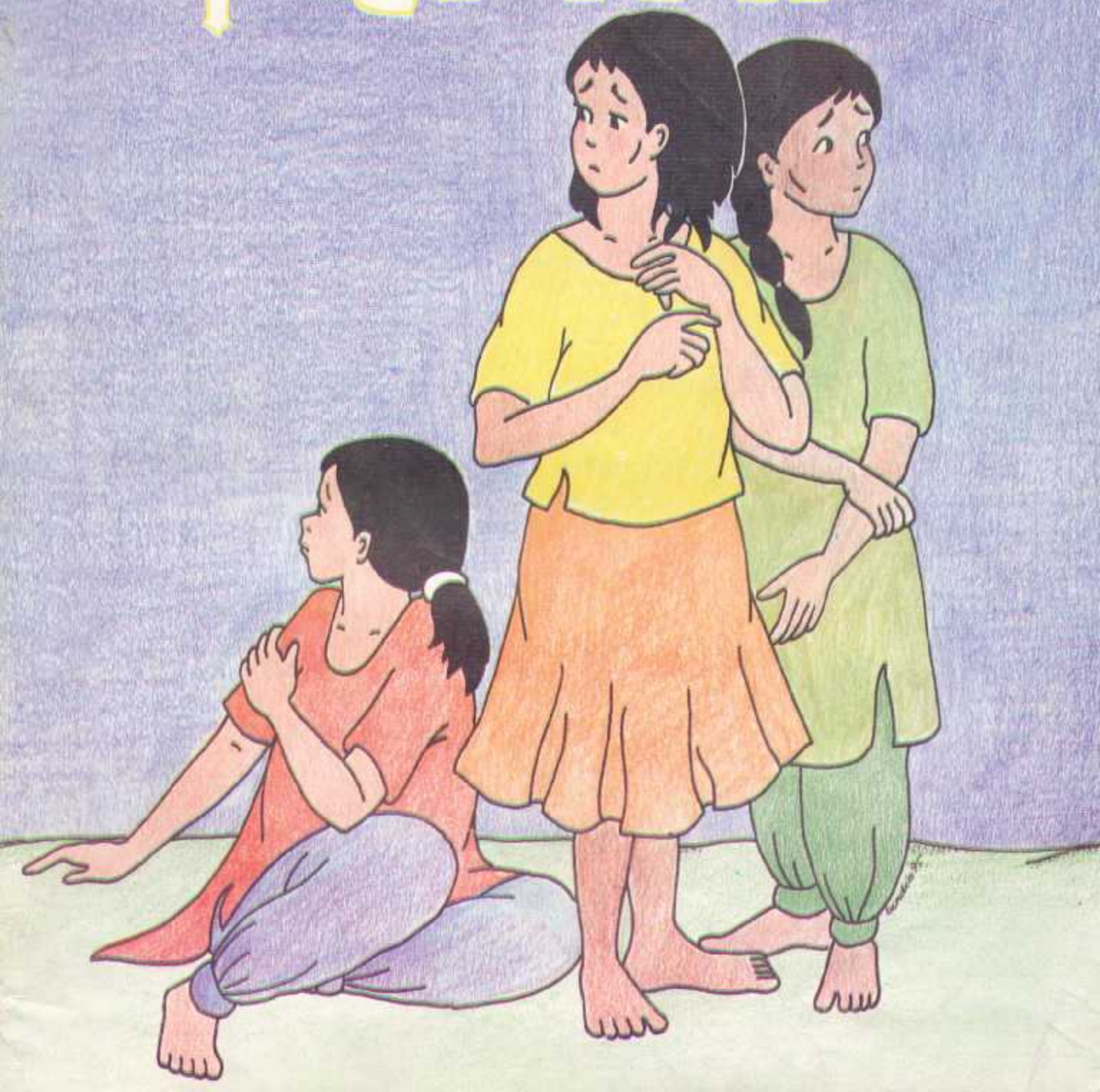

सेवाग्राम विकास संस्थान, नई दिल्ली

वर्ष 8 : अंक 2 जून-जुलाई, 1995

## सहयोग मंडल

कमला भसीन

मणिमाला

ज्ञानेंद्र प्रसाद जैन

## संपादिका

शारदा जैन

## उप-संपादिका

वीणा शिवपुरी

जुही जैन

## चित्रांकन

बिंदिया थापर (कवर)

जॉयल गिल

## वितरण

प्रतिभा गुप्ता

ग्रामीण बहनों की द्विमासिक पत्रिका—शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानप्रदत; डाक्टर शारदा जैन (सेवा ग्राम विकास संस्थान, 1 दरियागंज, नई दिल्ली-110 002) द्वारा संपादित व प्रकाशित तथा इन्द्रप्रस्थ प्रैस (सी. बी. टी.), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित।

इस अंक मे

हमारी बात 1

आग अपने ही आंगन की... 3
—कमला भसीन

बलात्कार से जुडे मिथक 7
—वीणा शिवपुरी

उमा की हिम्मत 9
—जुही

जीतू बन गई वरदान 12
—रामशंकर चंचल

महिला शक्तिकरण 13
—विशेष संवाददाता

समान नागरिक कानून 15
—मणि

सपना आज़ादी का 18-19
—मणिमाला

चिंगारी 20

सबला संघ पंचायत... 22
—सुहास कुमार

गुलाब और गुलमोहर 24
—इंदू सेन

रुकमां की लड़ाई 25
—वीणा शिवपुरी

अछूत कौन? 28
—शैल अग्रवाल

दर्द 30

बेटी का खत... 31

ख़ामोशी तोड़ें... 33
—जुही

इनसे प्रेरणा लें 35

# हमारी बात

अख़बार की सुर्खियों में कुछ दिनों से परिवार की चारदीवारी में अबोध बच्चियों के साथ होने वाली हिंसा—यौनिक हिंसा की खबरें आम हो गई हैं। सदियों से औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए पुरुष अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करता आया है।

इस बात का गवाह इतिहास भी है। फिर द्रौपदी का चीर-हरण हो, सीता के सतीत्व पर लांछन हो या फिर शूर्पनखा के नाक-कान काटने का अमानवीय प्रसंग हो। इन सब उदाहरणों में औरत पर हिंसा की गई है।

आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस, रूप अलग-अलग हो गए हैं। आज भंवरी का बलात्कार किया जाता है। सत्तो और ऊषा धीमन को सरे बाज़ार नंगा कर घुमाया जाता है। संतोष का चाचा और बाप उसके साथ रोज़ संबंध बनाते हैं। समाज इन सब वारदातों को अलग-अलग रंग देता है। किसी को जमीन के पीछे झगड़ा कहता है, किसी को समाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का नतीजा। और किसी को घर के अंदर की समस्या कहकर दबा देता है।

इन वारदातों को वर्ग, जाति, मानसिक बीमारी के हिसाब से भी बांटा जाता है। बलात्कार सिर्फ निम्न वर्ग में होता है, और विकृत मानसिकता के पुरुष करते हैं, ज़रूरी नहीं है। बाप-बेटी, चाचा-फूफा द्वारा यौनिक हिंसा और अत्याचार मध्यम वर्ग में नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है।

इस समाज के ठेकेदारों से पूछा जाए कि जब मंत्रालय में काम करने वाला पदाधिकारी अपनी बेटी के साथ रोज बलात्कार करता है तो यह क्या अनपढ-निम्न वर्ग की समस्या है? जब एक हाई कोर्ट का जज अपनी भतीजी का पांच माह का गर्भ गिरवाने डाक्टर के पास जाता है तो क्या वह विकृत मानसिकता का शिकार हो सकता है? जवाब है, नहीं। यह हमारे समाज के इज्जतदार लोग हैं।

यह पूरे समाज की समस्या है। सिर्फ निम्न वर्ग, अनपढ़, बीमार मर्दों की ही नहीं। यह उच्च, मध्यम, पढ़-लिखे, इज्ज़तदार लोगों के घरों में भी उतनी ही मौजूद है।

इस समस्या से जूझना है। सज़ा दिलानी है मुजरिम को। औरत को जीने के हक से महरूम नहीं होने देना है। फिर कठघरे में पति हो, चाचा हो, भाई हो या कोई अजनबी। क्योंकि नारी शरीर पर केवल औरत का अपना हक है। मानवता पर होने वाला यह कलंक बरसों सहा है, पर अब नहीं सहेंगे। अब हम सबको एक साथ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है।

# आखिर कब तक !

# आग अपने ही आंगन की झुलसाए है..

कमला भसीन

एक ओर अक्सर सुनने में आता है कि "घर जन्नत है।"

"घर की चारदीवारी में औरतें सुरक्षित हैं।" "घर में रहने में ही औरत की इज्ज़त और आबरू है।" "घर-परिवार ऐसी जगह है जहां अमन और चैन है।" "बाहर की सब परेशानियां और सारी थकान घर पहुंच कर दूर हो जाती हैं।"

दूसरी ओर रोज अखबारों में पढ़ने या सुनने को मिलता है कि—

"पत्नी से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया तो पति ने उसे जान से मार दिया।"

"पति से घर खर्च के लिए पैसे मांगे तो पति ने उसे मारा।"

"कम दहेज के कारण ससुराल वालों ने बहू को जला दिया।"

"ससुर ने बहू पर बलात्कार करने की कोशिश की। बहू चीखी-चिल्लाई तो लोग जमा हो गए। बहू बलात्कार से बच गई, पर बाद में पति ने उसकी नाक काट दी, क्योंकि उसने परिवार की बदनामी कराई थी।"

संभवतः कुछ ही घर ऐसे होंगे जहां सुख, शांति और इंसाफ हो, जहां औरत की इज्ज़त और हिफ़ाजत हो। बहुत से घरों में न चैन है, न शांति, न प्यार और न आपसी समझ।

रक्षक भक्षक बन जाते हैं और औरतों पर घर की चारदीवारी में तरह-तरह के जुल्म किए जाते हैं। उनके अपने सगे उन पर जुल्म ढाते हैं। अपने ही घर की आग उन्हें जलाती है। उनके रक्षक ही उनके भक्षक बन जाते हैं।

परिवार में औरतों पर होने वाले जुल्म के अलग-अलग रूप हैं। सबसे बड़ा जुल्म उसके पैदा होते ही किया जाता है, जब उसे देखते ही घरवालों के चेहरे उतर जाते हैं। "हाय राम! लड़की हुई है।" आप अंदाज कीजिए, उसके पैदा होने को बदशगुनी माना जाए और खुशी की जगह मातम मनाया जाए, थाल की जगह सूप बजाया जाए।

*जिसका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है*
*औरत की ज़िंदगी ये ज़िंदगी क्या खाक है*

दूसरा जुल्म है पैदा होने के बाद लड़की को कम प्यार, कम खुराक, कम देखभाल और कम दवा आदि देना। जिस घर में इस तरह का भेदभाव खुले आम हो उस घर में औरत के चैन या

हिफ़ाजत की बात कैसे की जा सकती है। वहां तो लड़कियों के नन्हें दिलों में घुटन और उनके चेहरों पर लाचारी ही होती है।

*अपनी मां ही बेटी को कम से कम परसा करे*
*अपने ही आंगन में वह इंसाफ को तरसा करे*

बेटियों के साथ किया जाने वाला भेदभाव अनेक घरों में बहुत खतरनाक बन जाता है। हाल में खबर छपी थी कि एक पढ़ा-लिखा पिता अपनी साल डेढ़ साल की बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पास के एक शहर में छोड़ आया। कई बार कचरे के ढेर में नई पैदा हुई लड़कियां पाई जाती हैं। कई बार बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं अपनी और अपने घरवालों की हालत पर तरस खाकर और अपनी रोज़ाना की बेइज्ज़ती से तंग आकर।

भारत में ऐसी ही लड़कियों की हालत पर दावा किया जाता है कि यहां नारियां पूजी जाती हैं!

*बेटे को राजा कहें, दीपक कहें, सम्मान दें*
*बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दें*

हमारे परिवारों में औरतों पर होने वाले ज़ुल्म की एक और भयंकर शक्ल है—बेटियों और बहुओं के साथ नाजायज यौन संबंध। कई बार बाप बेटी के साथ यौन संबंध जोड़ लेता है और सालों तक उसे यह ज़ुल्म सहना पड़ता है। कई बार बहू को देवर, जेठ या ससुर के गलत इरादों से जूझना पड़ता है। छोटी बच्चियों को हर पुरुष रिश्तेदार से खतरा हो सकता है। हम सबको इस बदचलनी का निजी ज्ञान भी होता है, पर हम चुप्पी लगाए रहती हैं, क्योंकि—

*बदनीयत से ये डरें और हर नज़र से ये डरें*
*फरियाद ये किससे करें हाथ अपनों के बढ़ें*

घर का अंधेरा ढांपे रखता है इन पापों को, लेकिन अगर आंखें खोलकर देखें और इस सचाई को नकारें नहीं तो हम देखेंगे कि घर-घर में बच्चियां और औरतें ज़ुल्मों की दलदल में फंसी हैं। पर ढिंढोरा परिवार की पवित्रता का ही पीटा जाता है।

घर में औरत को पीटना आम बात है। कुछ औरतें रोज़ाना पीटी जाती हैं, कुछ कभी-कभी। कुछ औरतों के पति उन्हें सिगरटों से जलाते हैं। कुछ काम पर जाते समय बाहर ताला लगा जाते हैं ताकि उनकी पत्नी किसी से मिल न सके।

घरेलू मामला कह कर घरों में होने वाली हिंसा को नकार दिया जाता है। पड़ोसी भी ऐसे मामलों में बचाव करने से कतराते हैं। औरत अपनी किस्मत समझकर पिटती रहती है। इसके अलावा उसके सामने बहुत कम रास्ते हैं। पुरुष पत्नी को पीटना अपना अधिकार और मर्दानगी का सबूत समझता है, जबकि सचाई यह है कि पत्नी पर मारपीट घरेलू या निजी मामला नहीं है। मारपीट, बलात्कार और हत्या सार्वजनिक अपराध हैं, चाहे घर में हों या घर के बाहर। किसी भी इंसान को दूसरे पर आक्रमण करने का हक़ नहीं है।

अगर मारपीट कुछ घरों में ही होती तो कहा जा सकता था कि इक्की-दुक्की औरत पर ज़ुल्म होता है। पर घरेलू मारपीट बहुत घरों में हो रही है। इस चलन को घरेलू मामला कैसे माना जा सकता है। इसकी जड़ें हमें समाज में ही ढूंढनी होंगी। यह गलत है कि औरत पारिवारिक हिंसा को अपनी किस्मत मान ले या स्वयं को दोषी ठहराए। जब तक औरतें स्वयं इन अपराधों पर पर्दा डाले रखेंगी और उन्हें कबूलती रहेंगी तब तक ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं। खामोशी का मतलब है

अपनी बेटियों को मारपीट विरासत में देना।

हमारे देश में पारिवारिक हिंसा पर न अधिक बातचीत हुई है, न ही जांच-पड़ताल। अमेरिका में इस बारे में अध्ययन हुआ जिससे पता चला कि लगभग पचास प्रतिशत परिवारों में पत्नियां पीटी जाती हैं। भारत में अक्सर माना जाता है कि मारपीट सिर्फ निचले तबके में होती है। पढ़े-लिखे और खाते-पीते तबकों में नहीं होती। यह भी मान्यता है कि पुरुष शराब के नशे में मारपीट करते हैं और मारपीट सिर्फ जवान औरतों व असहाय या अनपढ़ औरतों की होती है।

ये सभी मान्यताएं गलत हैं। कुछ वर्ष पहले बंबई की एक महिला संस्था ने 25 मध्यम-वर्गीय और 25 गरीब औरतों का अध्ययन किया जो अपने घरों में पिटा करती थीं जिससे नीचे लिखी जानकारी मिली—

पिटने वाली औरतों में 16 से 65 वर्ष की औरतें थीं, यानि किसी भी उम्र की औरत इस जुल्म से परे नहीं है।

इनमें अनपढ़ औरतो से एम.ए. पास औरतें भी थीं।

मारने वाले पतियों में अनपढ़ मज़दूरों से लेकर पढ़े-लिखे डाक्टर, वकील, अध्यापक और व्यापारी शामिल थे।

कुछ औरतें बड़े परिवारों की थीं और कुछ छोटे परिवारों की थीं। बच्चों वाली औरतें और बिना बच्चों वाली दोनों थीं।

पचास प्रतिशत औरतें शादी के पहले छः महीने में ही पिटीं।

अधिकतर पुरुष मारपीट करते समय शराब के नशे में नहीं होते।

इससे तो साबित होता है कि हर वर्ग की औरत घर में हिंसा की शिकार बन सकती है। फर्क यह है कि निम्न वर्ग की औरत जब पिटती है तब पूरे मुहल्ले को पता लग जाता है, जबकि ऊंचे घरों की औरतें ऊंची व मोटी दीवारों वाले घरों में पिटती हैं और उन पर होने वाली हिंसा की खबर किसी को नहीं होती। उन्हें अपने परिवार की इज्ज़त की भी फिक्र होती है, इसलिए वे इस बारे में किसी से बताती नहीं।

### मारपीट किस कारण?

पत्नी को पीटने का बहाना कुछ भी हो सकता है, जैसे उसने खाना ठीक नहीं बनाया या पैसे अधिक खर्च कर दिए या गैर मर्द से बात कर ली। ऐसा कोई कारण पत्नी भी ढूंढ सकती है, जैसे पति

समय पर नहीं लौटा या शराब पीकर आया। तब औरत अपने पति को क्यों नहीं पीटती?

कहा जाता है कि पति परेशान होकर घर लौटता है और खीज अपनी औरत पर निकालता है। पर खीजती पत्नियां भी हैं। घर के कभी न खत्म होने वाले काम, बच्चों का रोना-धोना और लोगों के ताने। पत्नियां क्यों नहीं खीज अपने पतियों पर निकालतीं?

इस मारपीट का बड़ा कारण मेरी समझ में समाज का पुरुष-सत्तात्मक ढांचा है। समाज की यह मान्यता है कि स्त्री पुरुष के आधीन है, वह पुरुष की संपत्ति है, पुरुष जो चाहे उसके साथ कर सकता है। पुरुष मालिक है और पत्नी उसकी दासी। ऐसी मान्यताओं को दृढ़ करने वाली पुरुष-प्रधान समाज में सैकड़ों कहावतें हैं, जैसे—

*ढोर गंवार, शूद्र, पशु, नारी*
*ये सब ताड़न के अधिकारी*

आजकल फिल्मों में औरतों पर हिंसा का खुला प्रचार होता है। विज्ञापन स्त्री को वस्तु मात्र बना देते हैं, केवल शरीर। यदि परिवार में ऊंच-नीच होगा तो समाज में भी अवश्य होगा। अगर घर घिनौने अपराधों से भरे होंगे तो वहां स्त्री, पुरुष और बच्चे

चैन की सांस कैसे लेंगे? मारपीट करने वाला डर पैदा कर सकता है, प्यार नहीं।

घरों में होने वाली हिंसा को रोकना ज़रूरी है। यह कानूनी अपराध भी है। इसे रोकने का सबसे पहला कदम यह है कि इस हिंसा पर बातचीत हो और उसका पर्दाफ़ाश हो। हिंसा व अन्याय की बात करने में शर्म कैसी? जब ज्यादा औरतें इस पर चर्चा करेंगी तो मारने वाले पुरुष चौकेंगे और शर्माएंगे।

दूसरे, हम यह मानकर चलें कि एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने का हक़ नहीं है। हमें इस धारणा को चुनौती देनी है कि स्त्री पुरुष के आधीन है। यदि हम समाज में समानता की बात करते हैं तो घरों में समानता से डरते क्यों हैं? स्त्रियों को बराबरी का दर्जा पाने के लिए स्वयं लड़ना होगा और कुर्बानी देनी होगी।

पारिवारिक हिंसा की शिकार औरतों को कानूनी सलाह की भी ज़रूरत है और ऐसे आश्रमघरों की ज़रूरत है जहां वे सहारा और हिम्मत पा सकें। बड़े शहरों में महिला संस्थाएं ऐसे घर बना रही हैं।

कैसी अजीब बात है कि जो औरतें बराबरी या इंसाफ की बात उठाती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे घर का चैन लूट रही हैं। सच यह है कि बहुत से घरों में चैन-शांति है ही नहीं। जिसे हम शांति समझते हैं वह कब्रिस्तान की खौफनाक शांति है जो औरतों की इच्छाओं और उनकी इज्ज़त की लाशों पर खड़ी है। जो औरतें पारिवारिक हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं वे अपने परिवारों को असली मानों में सुखी घर बनाना चाहती हैं—ऐसे घर जहां प्यार, आपसी समझ और एक-दूसरे की इज्ज़त हो, ऐसे घर जहां बच्चे शांति और बराबरी के पाठ सीखें। □

# बलात्कार से जुड़े मिथक

वीणा शिवपुरी

- **मन ही मन औरतें चाहती हैं कि उनके साथ बलात्कार हो।**

— ग़लत! बलात्कार को सही ठहराने के लिए मर्दों ने यह बहाना गढ़ लिया है कि औरतों को ज़ोर-जबरदस्ती अच्छी लगती है। किसी भी औरत को मर्जी के खिलाफ़ शरीर से खिलवाड़ पसंद नहीं है। न उसमें आनंद आता है। बलात्कार की शिकार औरतों का कहना है कि उनके मन में डर, शर्मिंदगी, घृणा, गुस्सा जैसे भाव उठते हैं।

- **पुरुष औरत को देख कर यौन उत्तेजना पर काबू नहीं रख पाता। इसलिए बलात्कार यौन उत्तेजना का अपराध है।**

— यह दोनों बातें गलत हैं। पुरुष भी अपनी यौन इच्छा पर चाहे तो काबू रख सकता है। बलात्कार के पीछे यौन उत्तेजना नहीं होती बल्कि हिंसा, आक्रामकता, दबाने और हमला करने की इच्छा होती है। बलात्कार ताक़त जतलाने और स्त्री को कुचलने की इच्छा से पैदा होने वाला अपराध है।

- **औरतें खुद ही अपने कपड़े-लत्ते और बातचीत करने के ढंग के जरिए बलात्कार को न्यौता देती हैं।**

— कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ हिंसा हो या उसकी बेइज्ज़ती हो। फिर औरतें क्यों चाहेंगी। बुर्के में ढकी औरतों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं। बलात्कार की पूरी ज़िम्मेदारी और गुनाह बलात्कारी मर्द का है।

- **अगर बलात्कार के समय औरत संघर्ष नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह राज़ी है और इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।**

— ग़लत! तन और मन से औरतों को इस काबिल ही नहीं बनाया जाता कि वे मर्द के हमले का सामना कर सकें। मारपीट और जान के खतरे के कारण उनके हाथ-पैर ठंडे पड़ सकते हैं। उनमें विरोध करने की ताक़त खत्म हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि यह सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है।

- **बलात्कारी हमेशा अजनबी होते हैं।**

— यह एक ग़लतफ़हमी है। जांच करने से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में बलात्कारी लड़की या औरत का जानकार पुरुष होता है। उस पर वह भरोसा करती है। जैसे परिवार के मर्द, पड़ौसी, जान पहचान वाले डाक्टर, मास्टर, नौकर, वगैरह।

- **बलात्कारी मर्द पागल या दिमागी रूप से बीमार होते हैं।**

— यह भी एक मिथक है ताकि इस सच्चाई का

पता न लग सके कि कोई भी पुरुष बलात्कारी हो सकता है। बलात्कारी हर वर्ग, पेशे, धर्म और जाति के होते हैं। पढ़े-लिखे और अनपढ़ भी होते हैं। उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती जो आम मर्दों में नहीं होती। या जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। दिमागी बीमारी के बहाने उनके लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जाती है। सच्चाई यह है कि वे किसी दया के हक़दार नहीं हैं।

- **बलात्कार सिर्फ़ बुरे चाल-चलन वाली औरतों के साथ होता है।**

— औरत के चाल-चलन से बलात्कार का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ समय पहले मेरठ में हुए इसाई साध्वियों के बलात्कार से यह साबित हो जाता है। बलात्कार का कारण औरत नहीं है। वह सिर्फ़ शिकार है।

- **जब पति औरत के साथ जबरदस्ती करता है तो वह बलात्कार नहीं है।**

— बलात्कार का मतलब है औरत की मर्जी के खिलाफ़ उसके साथ संभोग। इस हिसाब से पति की जबरदस्ती भी बलात्कार है। वैसे अफ़सोस है कि भारतीय कानून ने अभी तक इस हिंसा को नहीं पहचाना है।

- **बलात्कार होने पर कानूनी रास्ता अपनाना बेकार है क्योंकि अधिकारी कुछ नहीं करते।**

— हालांकि कानूनी रास्ता बहुत कठिन है लेकिन यह ज़रूरी है कि बलात्कार की रपट की जाए। अगर पुलिस थाना न हो तो डाक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बताया जाए। बलात्कार जैसे अपराध पर चुप रह जाना उसे बढ़ावा देना है।

***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और पक्की सीढ़ियों से नीचे धकेले जाने में***
***सिवा इसके कि घाव मन के भीतर भी***
***रिसते हैं।***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और ट्रक तले कुचले जाने में***
***सिवा इसके कि मर्द पूछते हैं—***
***'मज़ा आया था?'***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और फुफकारते सांप के काटने में***
***सिवा इसके कि लोग जानना चाहते हैं—***
***'तुम अकेली बाहर गई ही क्यों?'***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और कार दुर्घटना में टूटे शीशे से***
***उछल कर बाहर गिरने में***
***सिवा इसके कि बाद में कारों से डर नहीं लगता***
***डर लगने लगता है आधी मानव जाति से।***

**(अंग्रेजी से अनुदित)**

- **औरतें बलात्कार के खिलाफ़ लाचार हैं।**

— ग़लत! कानून के अलावा औरतें और बहुत से तरीकों से इसके खिलाफ़ लड़ सकती हैं।

औरतें एक दूसरे से जुड़ कर दबाव समूह बना कर रपट दर्ज कराने से लेकर कानूनों में बदलाव लाने तक के काम कर सकती हैं। अपने गांव, समुदाय में उस व्यक्ति के खिलाफ़ जनमत बना कर उसका बहिष्कार करवा सकती हैं। जुलूस, नारों, मोर्चों से उसका सामाजिक अपमान कर सकती हैं।

बलात्कार की शिकार औरत को प्यार-बहनापा और हिम्मत दे सकती हैं। □

# उमा की हिम्मत
# शैतान बाप को सज़ा दिलवाई

जुही

आइए, आज हम आपको उमा से मिलवाते हैं। बहुत बहादुर लड़की है। उमा की उम्र है चौदह साल। उड़ीसा प्रदेश का नाम आपने सुना होगा। उड़ीसा के एक ज़िले के एक छोटे से गांव पलवल में रहती है।

उमा आदिवासी है। मज़दूरी करती है। उसकी मां भी पत्थर तोड़ने का काम करती है। बाप पास की मिल में मैकेनिक है। उमा की एक बड़ी बहन है शन्नो। शन्नो बचपन से ही अपाहिज है। उसके दोनों पैर खराब हैं। उमा शन्नो को बहुत प्यार करती है। उसकी देखभाल करती है। उसे खुश रखने की पूरी-पूरी कोशिश करती है।

इस परिवार की दिनचर्या बड़ी कठिन है। बाप-मां और उमा सुबह घर से निकल जाते हैं। दिन ढले घर वापस आते हैं। बाप की छुट्टी दोपहर को ही होती है। इसलिए वह घर जल्दी आ जाता है।

कुछ दिनों से उमा को लगा कि शन्नो कुछ डरी सहमी सी रहती है। पहले वह खूब हंसती-बोलती थी। अब अचानक गुमसुम सी हो गई है। उमा को यह अजीब लगा। मां को बताया। मां ने बात टाल दी। बोली, बेचारी दिन भर घर में रहती है। चल-फिर नहीं सकती। तो उदास हो जाती है। बात आई-गई हो गई।

### हादसे की जानकारी

कुछ समय बीता। एक दिन दोपहर के समय उमा की तबीयत खराब हो गई। जब काम नहीं किया गया तो उमा ठेकेदार के पास गई। ठेकेदार अच्छा था। उसने उमा को छुट्टी दे दी। उमा घर आ गई।

घर का दरवाजा खुला देख उमा हैरान हुई। अंदर के कमरे की तरफ बढ़ी। चौखट पर पैर रखा ही था कि उसकी चीख निकल गई। देखा तो उसका बाप शन्नो का बलात्कार कर रहा था। शन्नो का मुंह और हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे। शन्नो बेसुध पड़ी थी।

उमा को देखते ही बाप सहम गया। फिर कूदकर उसे भी पकड़ लिया। उसे डराया-धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसकी मां और शन्नो को जान से मार डालेगा। आखिर उमा भी बच्ची थी, सहम गई। बाप यह कहकर बाहर चला गया।

उमा ने शन्नो के हाथ-पैर खोले। उसके मुंह पर छींटे मारे। होश आते ही शन्नो उमा से लिपट कर बिलख पड़ी। उसने बताया कि लगभग तीन महीने से उसका बाप उसके साथ बलात्कार कर रहा था। उसने शन्नो को भी धमकी दी थी कि

अगर उसने अपना मुंह खोला तो उमा और मां को जहर दे देगा। फिर शन्नो को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कभी-कभी बाप का एक-आध दोस्त भी घर आता था। शन्नो के ऊपर बलात्कार करता। बाप को पैसे देता। इसलिए शन्नो घुट रही थी।

### उमा की समझदारी

उमा से शन्नो की हालत देखी नहीं गई। पर साथ ही वह डर भी रही थी। फिर भी उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। बाप को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हम चुपचाप सहेंगे तो हम भी गुनाह के भागीदार होंगे। पर सवाल था कि क्या करें। मां को कैसे बताएं।

दूसरे दिन सब काम पर चले गए। दोपहर होने से पहले ही उमा ने मां को घर चलने की ज़िद की। बोली तबीयत ठीक नहीं है। मां को किसी तरह राजी किया। खाने की छुट्टी के बाद दोनों घर आ गईं।

बाप को रंगे हाथों पकड़ लिया। मां को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों ने बाप को मार-पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बाप के जाने के बाद मां फूट-फूट कर रोने लगी। उमा ने ढाढस बंधाया।

### पुलिस की बेरुखी

फिर मां-बेटी शन्नो को लेकर थाने पहुंचीं। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। थानेदार ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। भला एक बाप कहीं ऐसा कर सकता है। दिमाग खराब है। यह औरतें बदमाश हैं। खुद धंधा करती हैं। रुपए ऐंठना चाहती होंगी। डांट-डपट कर थाने से निकाल दिया।

**आप से, समाज से—एक सवाल है, एक उम्मीद है। फैसला हमारे हाथ है। इनकी मदद करें या सच्चाई को नज़र-अंदाज करें। झूठी इज्ज़त ढकें या जुर्म खत्म करने को एकजुट हो जाएं।**

लेकिन उमा ने हार नहीं मानी। गांव के मुखिया के पास गई। स्कूल मास्टर जी को बताया। आस-पास के लोगों से कहती फिरी। बाप की फैक्टरी पहुंची। उसके साथियों और अफसरानों से बात की। आखिर लोगों को बात माननी पड़ी।

### समाज का विरोध

कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। कुछ गांव-वाले नाराज़ हुए। जाति वाले उन पर उंगली उठाने लगे। आखिर एक मर्द की इज्ज़त का सवाल था। गांव की बदनामी थी। जाति-धर्म की बदनामी थी। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो यह तो घर की बात थी। इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। चुप रहती। इसी में सबकी भलाई है। इज्ज़त भी बनी रहती।

### मुजरिम को सजा

इस विरोध के बावजूद उमा और उसकी मां डटी रहीं। बाप की फैक्टरी के बाहर बैठी रहीं। जब तक कि कुछ कार्यवाही नहीं हो गई। बाप की नौकरी छूट गई। उसके फंड के रुपए भी उमा और मां को मिले। उस रुपए से शन्नो के पैरों का इलाज कराया। बाप के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसकी जमानत भी नहीं हुई। वह जेल में बंद है।

## अपराजिता

आज मेरा हुआ है नया जन्म
अपराजिता है मेरा नया नाम
दौड़ रही हूं कबसे, किस-किस से
चाहती हूं बनना एक शक्ति खुद में
न हार मानूं कभी भी किसी से
माता पिता ने नाम दिया 'प्रगति'
आज हुई है एक नई गति सचारित
मुझमें
किया है रोना छोड़ लड़ने का संकल्प
हुई है एक नई चिंगारी उवलंत
भावना, संवेदना मेरी कमजोरी न बनेंगे
बनेंगे अब यह सब मेरी शक्ति
जीवन के नए मार्ग दर्शक
अब बनूंगी मैं अपराजिता

अपराजिता
कक्षा 12वीं

उमा, शन्नो और उनकी मां काफी परेशानियों से जूझ रही हैं। बाप की कमाई अब घर में नहीं है। गुज़ारा मुश्किल है। लोगों के ताने हैं। मुकदमे का खर्चा है। गरीबी और भूख है।

पर साथ ही हिम्मत है। बदला लेने और सजा दिलाने का निश्चय है। अपने ऊपर एक विश्वास है। आपसे, समाज से एक सवाल, एक उम्मीद है। अब फैसला हमारे हाथ है। उनकी मदद करें या सच्चाई को नज़र-अंदाज करें। झूठी इज्ज़त ढकें या जुर्म खत्म करने को एकजुट हो जाएं। □

# जीतू बन गई वरदान

कोई उम्र नहीं होती
ज्ञान-प्राप्ति में
बाधक
पचास वर्षीय जीतू ने
एक ही वर्ष में
बहुत कुछ सीखा
कर दिया यह साबित।
जीतू
सीखा/पढ़
एक वर्ष में ही
देखते-देखते
अपने प्रभाव से
ज्ञान व व्यवहार से
बन गई सरपंच।
जीतू
अब अकेली ही जाती है
जिले के कार्यालयों में
निपटा लाती
अपने गांव की कई समस्याएं।
जीतू
अन्याय के खिलाफ
मचा देती है क्रांति
दिलाती है उसे हक
जिस पर उसका अधिकार था
वह निडर/निर्भीक
बेधड़क पहुंच जाती
कलेक्टर/मंत्री
कहीं भी।
किसी के पास भी
कभी भी।
जीतू
बन गई वरदान
गांव के लिए
महिला/पुरुष
युवक/युवतियां
सबके लिए/एक प्रेरणा
ताकत
जिसने सब के मन में
पैदा कर दी
जिज्ञासा/लगाव/प्रेम
साक्षरता के प्रति
जिसने जीतू जैसी
अबला को
बना दिया
सबला।

रामशंकर चंचल

# महिला शक्तिकरण

## सफ़र भी और मंज़िल भी

विशेष संवाददाता

**आज अनेक संस्थाएं शहरों, गांवों और पिछड़े आदिवासी इलाकों में औरतों के साथ काम कर रही हैं। उनके कांम के दायरे काफी अलग-अलग भी हैं। कुछ का ज़ोर औरतों की आमदनी बढ़ाने वाले कामों पर है। कुछ औरतों को शिक्षित करने में लगी हैं। कुछ अन्य संस्थाएं औरतों में जागरूकता लाने के काम से जुड़ी हैं। उन्हें संगठित कर रही हैं। इन सभी रास्तों को अपनाने के पीछे उनका मक़सद एक ही है। औरत को ताक़तवर बनने में उसकी मदद करना। आज तक की उसकी आधीनता को खत्म करना। एक स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान बनाना।**

अलग-अलग रास्तों को अपनाने वालों का मानना है कि उस खास क्षेत्र में पिछड़ापन ही औरतों के निचले दर्जे का कारण है।

आमदनी बढ़ाने से जुड़े संगठन मानते हैं कि आर्थिक निर्भरता के कारण ही औरत की आवाज़ सुनी नहीं जाती। उसके विचारों को महत्व नहीं मिलता। यदि वह अपने पैरों पर खड़ी, आर्थिक रूप से ताक़तवर होगी तो समाज उसे अपने आप स्वीकारेगा। उसमें आत्मविश्वास आएगा। वह जैसे जीना चाहेगी जी सकेगी।

इसके पीछे उनका तर्क है कि आज की दुनिया मुख्य रूप से आर्थिक दुनिया है। यहां पैसे की ताक़त चलती है। इसलिए कर्ज़ की सुविधा, काम धंधे का प्रशिक्षण, बाज़ार की जानकारी जैसी मदद के द्वारा औरतों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वे घर-परिवार और समाज में फ़ैसले लेने की ताक़त खुद पा जाएंगी।

### शिक्षा की अहमियत

शिक्षा से जुड़े लोग मानते हैं कि आज़ादी और ताक़त का अहसास पहले दिमाग़ में जन्मता है। शिक्षा ही दिमाग के दरवाजे खोलती है। सारे संसार की जानकारी देती है। उन्हें अपने दबाव और शोषण का इतिहास बताती है। साक्षर होकर ही औरत अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकती है। आज के संसार में जिसके पास जानकारी है उसके पास ताक़त है। आज तक औरतों को इस ताक़त से अलग रखा गया। इसलिए उन्हें शिक्षा की अहमियत बताने और शिक्षित करने के प्रयत्नों की ज़रूरत है।

### हीन भावना छोड़ें

कुछ अन्य संस्थाएं ऐसी हैं जिनका मानना है कि औरत को ताक़त कहीं बाहर से नहीं पानी है। वह खुद अपने भीतर पैदा करनी है। जब तक वह खुद अपने आपको ऊंचा दर्जा देना नहीं सीखती, कोई

और उसका दर्जा नहीं बढ़ा सकता। अपने बारे में अच्छी राय रखना, अपने महत्व को समझना, परिवार और समाज में अपने योगदान को पहचानना ही इस ताक़त को पाने की सीढ़ियां हैं।

आज तक उसे हीन भावना की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। उन्हें तोड़ना है। इसके साथ दूसरा कदम है आपस में एकजुट होकर सामूहिक ताक़त पैदा करना। ताकि औरतें अपने आपको अकेला और कमज़ोर न समझें। वे हमेशा दूसरों के आसरे रहने की आदत छोड़ दें। अपने हक़ों के लिए खुद लड़ना सीखें।

## कोई रास्ता संपूर्ण नहीं

ये सभी रास्ते अपने आप में सही भी हैं और इनकी कुछ कमज़ोरियां भी हैं। औरतों की आर्थिक मदद करने वाले कार्यक्रम कई बार उसे ताकतवर बनाने की जगह ज्यों का त्यों रखते हैं। औरतें संस्थाओं पर मदद के लिए निर्भर होने की आदी हो जाती हैं। जब तक संस्थाएं इस ख़तरे के प्रति आगाह न रहें तब तक सशक्तता का सपना पूरा नहीं हो सकता। कई बार औरतों की आमदनी तो बढ़ जाती है पर उस आमदनी पर भी मर्द कब्जा कर लेते हैं। यानि आमदनी बढ़ने से ही औरतें अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल नहीं कर लेतीं।

इसी तरह शिक्षा से जुड़े कई ख़तरे भी हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि उनकी शिक्षा कैसी हो? आज तक हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वह तो औरत को कमज़ोरी का पाठ ही पढ़ाती है। इसलिए सशक्तता पाने के लिए जो शिक्षा दी जाएगी उसे पढ़ाने का ढंग, पढ़ाई गई बातें सब आम शिक्षा से अलग होंगी।

दूसरा सवाल यह भी उठता है कि सबसे ग़रीब वर्ग की औरत की पहली ज़रूरत तो रोज़ी-रोटी है। शिक्षा से उसे तुरंत कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वह शिक्षा पाने के लिए क्यों और कैसे आएगी? क्या शिक्षा के साथ या उससे पहले उसके जीने के साधन मुहैया कराना ज़रूरी नहीं है?

कुछ इसी तरह के सवाल जागरूकता के रास्ते के संबंध में भी उठते हैं। क्या भूखे पेट से जागरूकता आती है? क्या भीतरी ताक़त और संगठन से बाहर के सारे हालात बदले जा सकते हैं? कुछ का यह भी कहना है कि पहले से ही काम और ज़िम्मेदारियों से दबी ग़रीब औरत पर हक़ के लिए लड़ने का बोझ, उसे और दबा देता है।

## शक्तिकरण को समझें

एक बात तो समझ में आती है कि कोई भी एक रास्ता अपने आप में संपूर्ण नहीं है। वास्तव में कोई भी एक रास्ता अकेले काम कर भी नहीं सकता। मुख्य ज़ोर किसी भी गतिविधि पर क्यों न हो, बाकी सबको भी साथ लेकर चलना ज़रूरी है।

यह भी संभव नहीं कि औरत एक क्षेत्र में ताक़तवर बने और दूसरे में कमज़ोर रहे। **सशक्तता का अर्थ यही है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का बराबर विकास हो।** यदि वह आर्थिक विकास करती है तो शिक्षा की ज़रूरत भी महसूस होगी। यदि उसमें चेतना पैदा होती है तो वह अपने पैरों पर भी खड़ी होना चाहेगी। उसकी सशक्तता सिर्फ़ घर के लिए या काम की जगह पर नहीं, बल्कि सब जगह बराबर होगी। उसका मान-सम्मान, दर्जा घर-बाहर हर जगह सुधरेगा। तभी वह सही मायनों में सशक्त कहलाएगी।

सशक्तता तो एक प्रक्रिया है जो हर पल चलती रहती है। □

# क्या समान नागरिक कानून स्त्री-पुरुष को समान अधिकार दे पाएगा?

मणिमाला

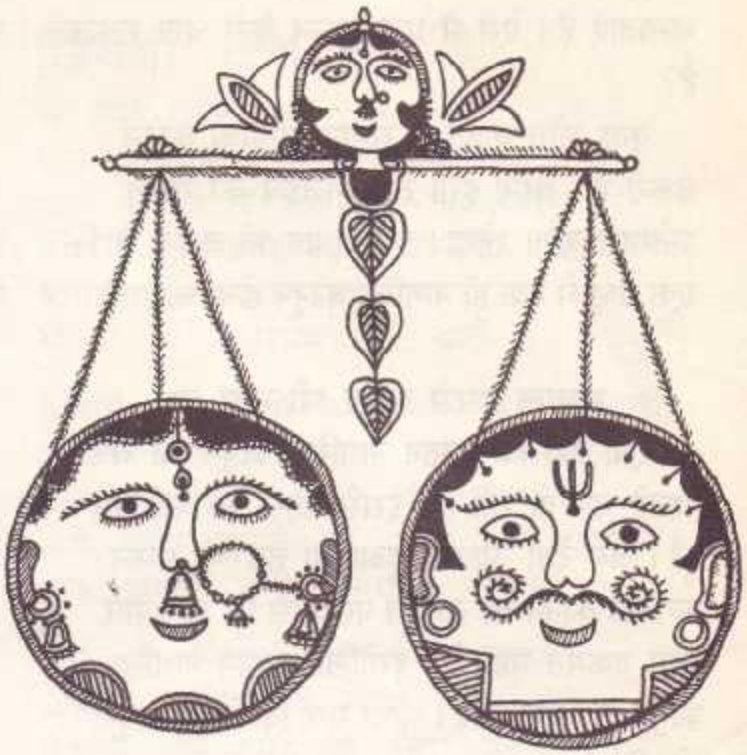

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को कहा कि वह समान नागरिक कानून बनाने की पहल करे। समान नागरिक कानून—मतलब हर मज़हब के लोगों पर एक ही कानून लागू हो। यह कानून सबको समान अधिकार देता हो। सबको इंसाफ देने की गारंटी करता हो। तब से समान नागरिक कानून की ज़रूरत पर बहस छिड़ी हुई है। क्यों न हम भी इस बहस में हिस्सा लें।

## समान नागरिक कानून की बात कैसे आई?

सरला मुदगल का पति पहले हिंदू था। उसे दूसरी शादी का भूत सवार हुआ। पहले उसने चाहा कि सरला को समझा-बुझा कर दूसरी शादी के लिए राजी कर ले। सरला राजी नहीं हुई। पढ़ी-लिखी महिला थी। उसे कानून की जानकारी थी। खासकर अपने अधिकारों की जानकारी थी। उसे पता था कि हिंदू विवाह कानून एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देता।

जब उसके पति ने डरा-धमका कर दूसरी औरत लाने के लिए उसे राजी करना चाहा तो उसने धमकी दी कि वह अदालत ले जाएगी। फिर भी उसके पति ने शादी की। ऐसे नहीं। पहले मज़हब बदला। हिंदू से मुसलमान हो गया। मुस्लिम निजी कानून मर्दों को चार शादियां करने की इजाजत देता है। इसी कानून की दुहाई देकर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत को घर ले आया।

सरला ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत की। उसने पूछा कि यह कहां तक सही है? क्या किसी मर्द को दोबारा शादी के मकसद से मज़हब बदलने की इजाज़त मिलनी चाहिए? या कि मज़हब बदलने भर से उसे दूसरी बीबी लाने का हक़ है?

## सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इसी साल दस मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरी शादी को नाजायज ठहराया। अमान्य करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि समान नागरिक कानून बनाए। समान नागरिक कानून के पीछे मज़हब का गलत इस्तेमाल न हो, यही इरादा था।

इसी फैसले ने बहस के लिए माहौल बनाया। कोई कहता है इस देश में समान नागरिक कानून नहीं चल सकता। यहां कई भाषाएं हैं। कई सांस्कृतिक धाराएं हैं। कई रीति-रिवाज हैं। कई

मान्यताएं हैं। ऐसे में एक कानून कैसे चल सकता है?

कुछ लोग कहते हैं समान नागरिक कानून जरूरी है। वरना इसी तरह मज़हब का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। इनका यह भी कहना है कि एक राष्ट्र में एक ही नागरिक कानून होना चाहिए।

### सवाल इससे पहले भी उठा था

ऐसा नहीं कि समान नागरिक कानून की चर्चा पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार हुई। जब देश आजाद हुआ था तब भी समान नागरिक कानून की जरूरत पर बहस हुई थी। सारे लोग एकमत नहीं थे। इसीलिए समान नागरिक कानून नहीं बन सका। सोचा गया कि निजी कानूनों को ही उदार बनाया जाए। इस सिलसिले में हिंदू कोड बिल बनाया गया। यह 1956 में पास हुआ।

हिंदू कोड बिल बनाने में बहुत परेशानी हुई थी। दरअसल यह 1950 में ही बन कर तैयार था। फिर भी बहस के लिए संसद में नहीं लाया गया। सरकार को डर था कि इससे उसकी लोकप्रियता पर आंच आएगी। 1952 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। तब के कानून मंत्री बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी संसद में बहस करवाने की। पर नहीं हुई। अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

हालांकि कानून बनाने के पहले काफी चर्चा की गई थी। लोगों की राय जानने के लिए कई समितियां बनाई गई थीं। हिंदू धर्मगुरुओं से भी मशविरा किया गया था। फिर भी संसद में इसे पास करवाना मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा विरोध था औरतों को भी तलाक का अधिकार देने पर। दूसरा बड़ा विरोध था संपत्ति का हक़ देने के सवाल पर।

इसके बाद निजी कानून बदलने की दिशा में कोई खास कोशिश नहीं हुई। जैसा है वैसा ही चल रहा है। हां, समान नागरिक कानून बनाने की बात जरूर हो रही है।

---

**सभी निजी कानून किसी न किसी रूप में औरत को कम और मर्द को ज्यादा हक़ देते हैं। आमतौर पर समान नागरिक कानून का अर्थ एक ऐसे कानून से लगाया जाता है जो सारे मज़हब के लोगों को समान हक़ दे। अगर औरत-मर्द को बराबर हक देने की बात है तो बहुत कुछ बदलना होगा। क्या इसके लिए हमारे नेता, राजनेता और समाज तैयार हो पाएंगे?**

---

### शाहबानो का मामला

1985 में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक कानून की बात कही थी। तब शाहबानो ने इद्दत के बाद भरण-पोषण भत्ता (गुजारा भत्ता) की मांग की थी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 का इस्तेमाल किया। उसे गुजारा भत्ता पाने का हक़ दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। वोट पाने के चक्कर में तब के प्रधान मंत्री राजीव गांधी झुक गए। मुस्लिम महिला संरक्षण कानून बनाया और औरतों (मुस्लिम) को दोयम दर्जे का नागरिक बना रहने दिया।

फिर 1994 में लखनऊ हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिनाथ तिवारी ने कहा कि शरियत कानून असंवैधानिक है। क्योंकि यह औरत और मर्द के बीच भेद-भाव करता है। जबकि संविधान की नजर

में सब बराबर हैं। औरत और मर्द भी।

### कानून ऐसा जो औरत-मर्द को बराबर हक़ दे

यहीं से यह बहस शुरू होती है कि कैसा कानून औरत और मर्द को बराबर हक़ दे सकता है? बराबर इंसाफ दे सकता है? बराबर आजादी दे सकता है?

इसी से जुड़े हुए कई और सवाल हैं। मसलनः क्या सिर्फ मुस्लिम निजी कानून औरतों के साथ ज़्यादती करता है? या सभी निजी कानून किसी न किसी रूप में औरत को कम और मर्द को ज्यादा हक़ देते हैं? अगर हां, तो वैसा कानून कौन बनाएगा जो औरत-मर्द, दोनों को बराबर हक़ दे। आमतौर पर समान नागरिक कानून का अर्थ एक वैसे कानून से लगाया जाता है जो सारे मज़हब के लोगों को समान हक़ दे।

अगर औरत-मर्द को बराबर हक़ देने की बात है तो बहुत कुछ बदलना होगा। क्या इसके लिए हमारे नेता, राजनेता और समाज तैयार हो पाएंगे?

एक पक्ष तो है ऐसा कानून बनाने का जो मर्दों और औरतों को समान हक़ दे। दूसरा पक्ष है उसे लागू करवाने का। औरतों पर ज़ुल्म रोकने के लिए कितने ही कानून बने। पर कारगर कितने हुए?

आप बहनों को क्या लगता है? औरतों को मर्दों के बराबर हक़ देने के लिए समान नागरिक कानून का होना जरूरी है या निजी कानूनों में बदलाव की ज़्यादा जरूरत है।

यह हमारी समस्या है। हमें भी सक्रिय होकर इस पर सोचना चाहिए। आप सोचिए और लिखिए। □

# ज़िंदगी का राज़

न मैंने जाना न तूने जाना
इन किताबों का राज़ बहना
यह बताती हैं धार्मिक अधिकार
बताती हैं मानव और कानूनी अधिकार
बताती हैं प्रकृति की बातें
मौसम के बदलाव की बातें

बताती हैं दलितों के दमन की कहानी
बहनों के दुख सुख की कहानी
उनके शोषण, दमन की कहानी
अब तक सुनते रहें औरो की ज़ुबानी
अब कहेंगे सुनेंगे अपनी ज़ुबानी

धर्म के नियमों को हमें बताया
अपनी सुविधा से तोड़ मरोड़कर
दबाया हमें धर्म के नाम पर
बहनों के साथ किताबों को बांचा
फिर उठे सवाल, दर सवाल

हैं सभी व्रत उपवास क्यों मेरे लिए?
मंगल कामना पति और भाई के लिए?
जिस द्वार जन्मी वह क्यों नहीं मेरा?
सारा समाज हमारी कोख से जन्मा
क्यों करता है हमको ही नंगा?

कानून ने दिया जो अधिकार
वह भी देना चाहते नहीं भाई
क्यों अपनों से ही ठगी जाती रही मैं

अब रह सकते नहीं खामोश
उठाएंगे अपने अधिकारों की आवाज़
देगें चुनौती धर्म और कानून को
तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी का
सीखों और सिखाएंगे बहनों को
अधिकार से जीना ज़िंदगी का

–शशि चौहान
"अंकुर" नई दिल्ली

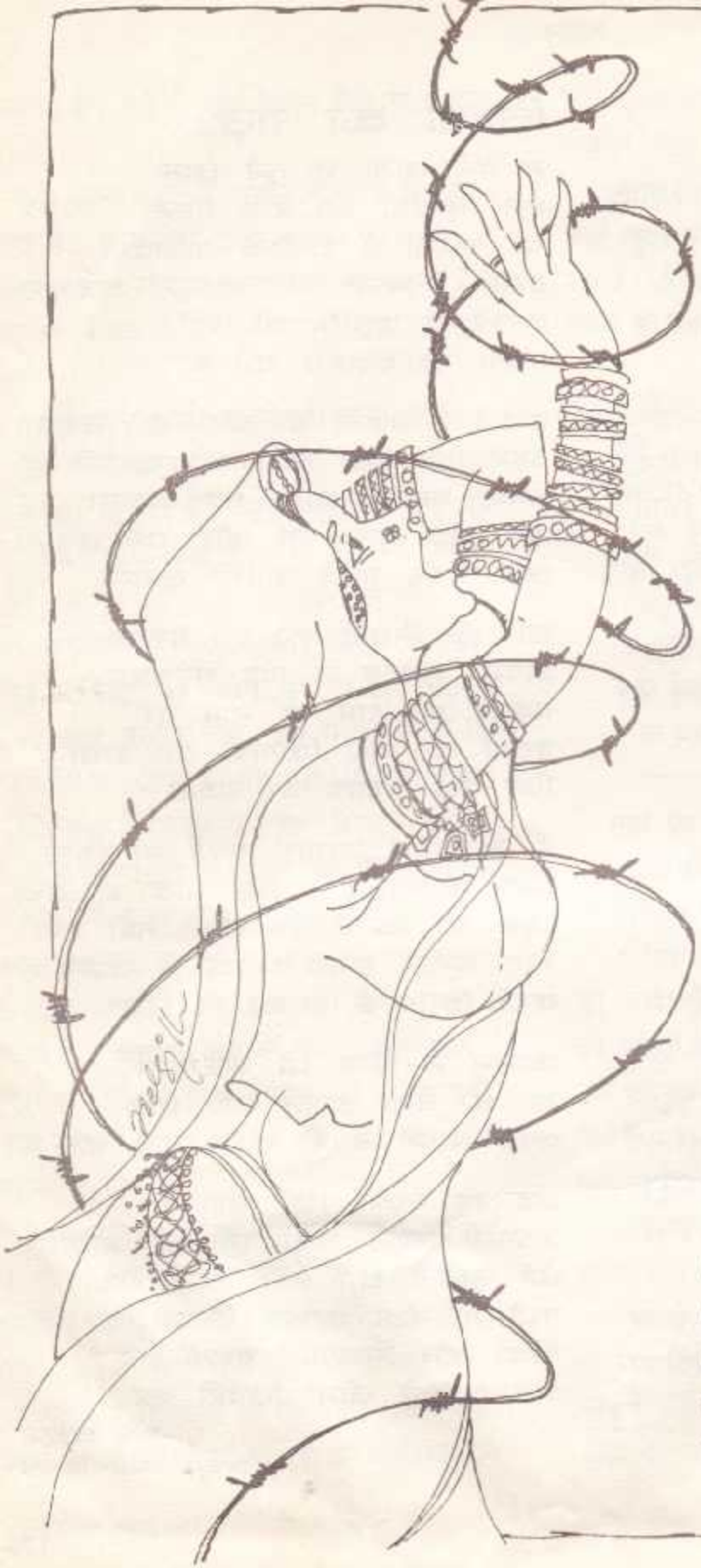

# सपना

मैं आजाद होना चाहती हूं
उन कायदे-कानूनों
रीति-रिवाजों
मान्यताओं
परंपराओं से-

जो मुझे अहसास कराती हैं
कि मैं औरत हूं
इसीलिए कमजोर हूं
इसीलिए कमतर हूं
इसीलिए कैद हूं
इसीलिए बेजुबान हूं
इसीलिए बेघर हूं

मैं आजाद होना चाहती हूं
इस अहसास से कि
मैं कमजोर हूं
मैं कमतर हूं
मैं बेजुबान हूं

कुदरत ने वह सब कुछ
मुझे भी दिया है, जो तुम्हें
फर्क है तो सिर्फ इतना कि
मैंने अपनी जुबान खोली नहीं
चाह कर भी कभी बोली नहीं

# आजादी का

पर, अब मैं बोलूंगी
अब मैं गाऊंगी
अपनी पसंद के गीत
आजादी के गीत.....

अब मैं चलूंगी
अंधेरी स्याह रात में
आंधी और बरसात में
मुझे आजाद होना है
डर से.....
अंधेरे के डर से..

गिरने के डर से..
टूटने के डर से..
मरने के डर से..
और सबसे बढ़ कर..
खुद के कमतर
कमजोर होने
के डर से.

मणिमाला

# चिंगारी

साइकिल पर सवार
मैं प्रेस की ओर भागा चला जा रहा-
अचानक सड़क पर एक दृश्य
उभंगित कर देने वाला
तीन आदिवासी किशोरियां
एक नौजवान पर टूट पड़ीं
निष्ठुर प्रहार कर रही हैं
मैं देखता रह जाता हूं।
मुट्ठियां भींच भौंहें तान
लड़ने की मुद्रा में
जैसे उसकी धुनाई करने की चाह में
भभक रही हैं।
दबे हुए ज्वालामुखी के अचानक
फूट पड़ने से
उनकी डांट-फटकार से
घबराया हुआ वह बगलें झांक रहा
यह सब क्यों?
अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं
औरत का आदमी द्वारा अपमान
वही पुराना किस्सा
स्त्री विमुक्ति की उस चिंगारी को
सम्मानित कैसे करूं
दिल किया साइकिल से उतरूं
अर्पित करूं
अपना एक क्रांतिकारी अभिवादन
उन सांवली, अनपढ़, दलित
परंतु क्रांतिकारी
मानुशियों को... -नारायण

# "सबला" महिला पंचायत ने मामला यों सुलझाया

19 वर्ष की कौशल्या कुमारी अपने माता–पिता व भाई–बहनों के साथ मदनगीर, दिल्ली में रहती है। मां–बाप ने 24 जून 1994 को उसकी सगाई धूमधाम से 24 बर्षीय ओमप्रकाश, निवासी उत्तमनगर, दिल्ली से कर दी। सारी रसम में पंद्रह हजार रुपए खर्च किए।

शादी की तारीख 3 मार्च 1995 तय हुई थी। कौशल्या के पिता ने उसी समय कहा कि मार्च में तो बच्चों की परीक्षा होगी। इस कारण शादी की तारीख बदल दी जाए। उस समय तो लड़के वाले मान गए और कहा कि "ठीक है आप ही तारीख तय करके बताना। आप जब भी कहेंगे हम शादी करने को तैयार हैं।"

कौशल्या के घरवाले उसी विश्वास पर इत्मीनान में हो गए। अचानक एक दिन झटका लगा। सुना कि जिस लड़के से कौशल्या का ब्याह तय हुआ था उसकी शादी किसी दूसरी जगह 14 अप्रैल '95 को होने जा रही है। 5 अप्रैल को कौशल्या व उसके माता–पिता शिकायत लेकर "सबला महिला पंचायत" के पास आए। महिला पंचायत ने तय किया कि "हम 11 अप्रैल को लड़के वालों के घर जलूस लेकर जाएंगे। शादी सचमुच होने जा रही है। इसके सबूत के लिए निमंत्रण–कार्ड लेकर आओ।"

चारों इलाकों, जहांगीर पुरी, नंदनगरी, सीमापुरी व दक्षिणपुरी की सबला संघ की लगभग 35 बहनें ओमप्रकाश के घर पहुंचीं। पुलिस ने भी उनका साथ दिया। वे साथ में पोस्टर व बैनर भी ले गई थीं। लड़के वालों को उन्होंने 13 अप्रैल को सबला पंचायत के दफ्तर में बुलाया और यह भी कहा कि साथ में पंद्रह हजार रुपए जो सगाई में खर्च हुए थे वे भी लेकर आना।

ओमप्रकाश के घर वालों ने कहा कि 4 दिन शादी के बचे हैं। हमारे पास इतना पैसा कहां है। सबला पंचायत की बहनों ने कहा, "हम यह सब कुछ नहीं जानते। आपको रुपए समेत आना है।" लड़के ने कहा, "हम चोर नहीं हैं कि मकान छोड़कर भाग जाएंगे। जरूर आएंगे।"

## फैसले का दिन

10 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से ही लड़के के चाचा तथा पड़ोसी दफ्तर के आस–पास चक्कर लगाने लगे। 10 बजे कौशल्या के मां-बाप व पड़ोस की बहनें आईं। लड़के वालों ने कौशल्या के पिता को पूरे 15056 रुपए दिए। सबला पंचायत द्वारा लिखा–पढ़ी की गई। उन्होंने 51 रूपए महिला पंचायत को भी अपनी ओर से दिए और हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी। कहा–कोर्ट कचहरी में पता नहीं कितना

**हम शहरी लोग सोचते हैं कि आज सामाजिक बहिष्कार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी शहरी बस्तियों में जहां अधिकतर गांव से आए लोग बसे हैं इसका दबाव है। नन्द नगरी की राजरानी की बेटी तथा दक्षिणपुरी की विमला जिन्हें ससुराल में जलाया गया, सीमापुरी में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं के साथ बहनों ने मिलकर प्रदर्शन व सामाजिक बहिष्कार की आवाज़ उठाई। सबला संघ ने यह भी महसूस किया कि कानूनी सज़ा ही काफ़ी नहीं है। सामाजिक बहिष्कार भी साथ में होना ज़रूरी है। ''सामाजिक बहिष्कार करने में लोगों की भागीदारी व ताक़त का अहसास तब हुआ जब सीमापुरी में मई, 1994 में लोगों ने एक व्यक्ति की आधी मूंछ व सिर के आधे बाल काट कर बस्ती में घुमाया। इससे लोगों को अपनी ताक़त का अहसास हुआ कि हम भी सज़ा दे सकते हैं।''**

खर्च होता। कौशल्या के घरवालों ने भी महिला पंचायत को 500 रूपए दिए।

महिला पंचायत में जब फैसला हो रहा था उसी समय दूसरी लड़की के रिश्तेदार (जहां ओमप्रकाश का दोबारा रिश्ता तय हुआ था) वहां आ गए। वे कहने लगे कि "महिला पंचायत ने हमारी भी आंखें खोल दी हैं और हम ऐसे धोखेबाज़ों के यहां रिश्ता नहीं करेंगे।"

ओमप्रकाश की शादी वहां भी नहीं हुई। वहां आए सभी लोगों ने महिला पंचायत की सराहना की और दूसरे इलाकों में भी महिला पंचायत बनाने की इच्छा प्रकट की।

## बड़े-बूढ़ों की देखभाल

एक दूसरी तरह का मामला भी सबला पंचायत ने अप्रैल '95 में सुलझाया। यह मामला ग्याली देवी लाईं। ग्याली देवी व उनके पति अपने बेटे राजेसिंह के पास मीठापुर में रह रहे थे।

काफी दिनों से राजेसिंह अपने बूढ़े मां-बाप को खर्चा नहीं देता था और मारता-पीटता भी था। बेटे के व्यवहार से तंग आकर ग्याली देवी व उनके पति अपनी बेटी राजेश्वरी के पास सुंदर नगरी में रहने आ गए।

ग्याली देवी सबला पंचायत में केस पंद्रह अप्रैल को लेकर आईं। दूसरे दिन ही सबला संघ की बहनें ग्याली देवी, उनके पति व बेटी राजेश्वरी को साथ लेकर बेटे राजेसिंह के दफ्तर कनाट प्लेस पहुंचीं।

राजेसिंह से बात की तो वह बोला कि "यह मेरे मां–बाप नहीं हैं।" उसे काफी समझाया। जब वह नहीं माना तो उसके ऊपर के अफसर से बात की। उन्होंने भी राजेसिंह को समझाया। काफी बहसा–बहसी हुई। फिर तय हुआ कि शनिवार 22.4.95 को मीठापुर, राजेसिंह के घर जाकर पूरी बात होगी। राजेसिंह ने भी कहा "हमारे घर आइए, फैसला वहीं होगा।"

22 तारीख को सबला संघ की बहनें, राजेश्वरी, ग्याली देवी व उनके पति के साथ राजेसिंह के घर पहुंची। राजेसिंह के यहां आस-पास के तथा उसकी बिरादरी के और लोग भी जमा हो गए।

ग्याली देवी व उनके पति गांव जाना चाहते थे मगर उनके पास किराए–खर्चे के पैसे भी नहीं थे। राजेसिंह ने खर्चा देने से इंकार किया। काफी समझाने पर वह अपने मां–बाप को साथ रखने को तैयार हो गया। हमारे समझाने व जोर देने पर उसने लिखित में दिया कि "अब मैं अपने मां–बाप को ठीक रखूंगा। उनकी सही तरीके से देखभाल करूंगा। व खर्चा दूंगा। अगर मैं यह सब नहीं कर सका और आपके पास कोई शिकायत पहुंची तो आप मेरे ऊपर कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। मैं 15 दिन में एक बार आपके दफ्तर भी आऊंगा। 15 दिन में सबला संघ, के लोग भी मेरे यहां आकर देखें।"

सबला संघ राजेश्वरी से उनके मां-बाप का हाल लेती रहती हैं। बेटी ने बताया कि अभी तो राजेसिंह उनको ठीक से रख रहा है। उनसे कुछ नहीं कहता, उल्टे उनसे डरता है।

एक महीने बाद ग्याली देवी अपने पति के साथ सबला संघ के दफ्तर आईं और बताया कि "अब हम खुश हैं। बेटा तंग नहीं करता। हमारी इज्जत करता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफी मांग लेता है। हमें अब कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों के जाने से ही यह सब कुछ संभव हो सका है।"

प्रस्तुति–सुहास कुमार

### "सबला संघ"

"सबला संघ" दिल्ली की चार पुनर्वास बस्तियों—जहांगीरपुरी, नन्दनगरी, सीमापुरी, दक्षिणपुरी—में सक्रिय हैं। संघ ने लगभग दो साल से इन क्षेत्रों में महिला पंचायतों का गठन शुरू किया। ये पंचायतें तरह-तरह के पारिवारिक मामले सफलता पूर्वक सुलझा रही हैं। इनके मुख्य हथियार हैं सामाजिक बहिष्कार का दबाव, स्थानीय लोगों की भागीदारी, कानूनी जानकारी और एकजुट होकर कदम बढ़ाना।

# गुलाब और गुलमोहर

द्वार में, तुमने लगाए गुलाब
मैंने रोपा गुलमोहर का नन्हा सा पौधा
वक्त गुजरा
और रंगों का एक सैलाब आ गया
द्वार आंगन महक गया
मुझे तुम्हारी परखा और सुरुचि पर
गर्व हुआ
गुलमोहर तो जंगली पेड़ सा हो गया
बुलंद
पर एक अर्से तक उस पर फूलों
का कहीं नाम न था
पर जब आए फूल तो आते ही चले
गए
हरी धानी डालियों से सजा, लाल
केसरी रंग का
एक खूबसूरत चंदोवा
मेरे द्वार पर टंग गया
अनजाने-पहचाने सबने कहा
द्वार पर क्या रौनक छा गई है
बार-बार एक ही बात सुन
तुम्हारी त्यौरियां तन गईं
उफ कितनी गंदगी हो जाती है
कमबख्त इन फूलों से
कह तुमने पेड़ को काटा और गुलाब
से
बित्ताभर नीचे कर दिया
बिखरा फूल-पत्तियों के रश्क्तिम रंग
निर्जीव टहनियों के ढेरे में
अचानक एक अबूझ अंधेरे में गिरी
मुझसे कहां किस मोड़ पर, क्या भूल
हुई
सोचती अवाक मैं खड़ी रह गई

—इंदु सेन

# रुकमां की लड़ाई

रुकमां का जन्म नेपाल के एक पहाड़ी गांव में हुआ था। सारे गांव में गरीबी थी। कोई काम धंधा नहीं था। जमीन पथरीली थी। खेती-बाड़ी भी बहुत कम थी। हर घर में भूखे-नंगे बच्चों का ढेर था। औरतें जंगल से लकड़ी लाकर पास के कस्बे में बेचती थीं। थोड़ी बहुत सब्जी भी उगाती थीं।

रुकमां के गांव की बहुत सी लड़कियां बंबई में नौकरी करती थीं। गांव का एक आदमी धनसिंह लड़कियों को बंबई ले जाता था। उनकी पगार के एडवांस रुपए मां-बाप को देता था। ज्यादातर गांव की रोज़ी-रोटी वही थी। रुकमां की बड़ी बहन भी चार साल पहले बंबई चली गई थी। लेकिन वह कभी लौटी नहीं। बहुत कम लड़कियां वापिस आती थीं।

जब रुकमां कुछ बड़ी हुई तो उसके बाप ने धनसिंह से बात की। धनसिंह ने रुकमां के बाप को पांच हज़ार रुपए दिए। उस दिन बाप ने खूब शराब पी। मां-बाप का झगड़ा भी हुआ। पता नहीं क्यों मां नहीं चाहती थी कि रुकमां बंबई जाए।

दस साल की रुकमां तो बंबई जाने के नाम से खुश थी। वह सोचती थी कि खूब काम करके मां-बाप को पैसा भेजूंगी। छोटे भाई-बहनों का पेट भरेगा।

### रुकमां बंबई पहुंची

गांव से बंबई तक का सफ़र कैसे कट गया मालूम ही नहीं पड़ा। रुकमां पहली बार रेलगाड़ी में बैठी। सब चीजें नई-नई थीं। बंबई पहुंच कर धनसिंह उसे एक घर में ले गया। वहां उसके जैसी और भी बहुत-सी लड़कियां थीं।

धनसिंह ने वहां एक औरत से दस हज़ार रुपए लिए और रुकमां को छोड़ दिया। वह बोला—

"देख रुकमां, अब तू यहीं रहेगी। जो कुछ यह अम्मा बोलेगी वैसे ही करना।"

धनसिंह को जाता देख रुकमां घबराई। यहां तो वह किसी को जानती नहीं थी। डर के मारे बेचारी बच्ची रोने लगी। उस औरत ने प्यार किया। खाना खिलाया।

दो चार दिन में रुकमां को पता लग गया कि धनसिंह ने पहले उसे उसके बाप से खरीदा और यहां बेच दिया। अब उसे और लड़कियों की तरह अपने शरीर का धंधा करना पड़ेगा। वरना मार-मार कर हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। हफ्ते भर के अंदर ही रुकमां को ग्राहक को दे दिया गया।

रुकमां हर समय रोती रहती। दूसरी लड़कियां उसे समझाती थीं—

"रुकमां भूल जा अपने गांव को। अब तो मरते दम तक यहीं रहना है। और कोई चारा नहीं।"

---

**रुकमां को विश्वास नहीं होता था कि उसके बाप ने जानबूझ कर उसे इस नर्क में धकेला है। अब समझ में आया कि मां क्यों नहीं उसे बंबई भेजना चाहती थी।**

---

## मौके का इंतजार

रुकमां समझ गई थी कि लड़ाई-झगड़े से काम नहीं चलेगा। यहां से निकलने के लिए मौके का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक उनका कहा मानने में ही भलाई है। वैसे रुकमां को अभी तक विश्वास नहीं होता था कि उसके बाप ने जान-बूझ कर उसे इस नर्क में धकेला है। अब समझ में आया कि मां क्यों नहीं उसे भेजना चाहती थी। सच यही था कि खुद बाप ने उसे वेश्या बनाया।

धीरे-धीरे छः महीने बीत गए। उस घर की मालकिन भी उससे खुश थी। वह समझती थी कि रुकमां ने यह जीवन अपना लिया है। एक

---

**रुकमां का एक ही सपना है। बड़ी होकर वह अपने देश नेपाल जाएगी। वहां बेटियों को बेचने वाले बापों और धनसिंह जैसे लड़कियों के दलालों के खिलाफ काम करेगी। तभी उसकी लड़ाई पूरी होगी**

---

दिन एक ग्राहक ने कहा कि वह रुकमां को बाहर ले जाएगा। बाहर ले जाने के ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। मालकिन ने इज़ाजत दे दी। ग्राहक रुकमां को लेकर समुद्र के किनारे गया।

चारों तरफ हज़ारों लोग घूम फिर रहे थे। यही मौका था जिसका रुकमां को इंतजार था। लेकिन किससे मदद मांगे, समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वाले तो खुद मालकिन के पास आते थे, पैसे लेने। इतने बड़े शहर में अजनबियों के बीच रुकमां को डर भी लग रहा था। वह बड़े ध्यान से अपने चारों तरफ़ लोगों को देख रही थी।

## नर्क से छुटकारा

उसने देखा एक जगह कुछ लोग बड़ा-सा कैमरा लेकर फोटो खींच रहे हैं। उनमें दो लड़कियां भी थीं। पता नहीं क्यों लेकिन रुकमां को उन पर भरोसा हो गया। एकाएक वह उठी और उधर दौड़ने लगी। ग्राहक पीछे से चिल्लाया। रुकमां ने दौड़ कर कैमरे वाले आदमी का हाथ पकड़ लिया। वह रोते-रोते कह रही थी—

"मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।"

ग्राहक जो पीछे-पीछे दौड़ कर आया था यह सब देख कर, वहां से भाग गया।

कैमरे वाला आदमी एक अखबार में काम करता था। लड़कियां भी पत्रकार थीं। उन्होंने

रुकमां की पूरी कहानी सुनी। उन सबकी आंखें दुख से भर आईं। उन्होंने मिल कर तय किया कि इस बच्ची की ज़रूर मदद करेंगे। थाने में रपट दर्ज कराई। रुकमां की डाक्टरी जांच हुई। वह बीमार थी। उसमें खून की कमी थी और यौन बीमारी भी। कई महीने उसका इलाज चला। मुकदमा भी चला।

### सपना रुकमां का

रुकमां को मालूम था कि वह वापिस घर नहीं जा सकती। एक पत्रकार लड़की ने रुकमां को घर के काम के लिए नौकरी दे दी। अब रुकमां स्वस्थ है। वह सच में बंबई में नौकरी कर रही है। साथ-साथ पढ़ती भी है। उसका एक सपना है कि बड़ी होकर एक दिन नेपाल ज़रूर जाएगी। वहां बेटियों को बेचने वाले बापों और धनसिंह जैसे लोगों के ख़िलाफ़ काम करेगी। तभी उसकी लड़ाई पूरी होगी। □

**धनसिंह और रुकमां के बाप जैसे लोगों को क्या सज़ा दी जाए। 'सबला' के पाठक अपने सुझाव भेजें।**

**संपादिका**

# अछूत कौन ?

मां, श्यामू की मां कहती है,
रामू भंगी अछूत है
वह पाखाना उठाता है
इसलिए वह भंगी है, अछूत है
तुम भी तो ललन का पाखाना
उठाती हो
तुम अछूत क्यों नहीं हो?
मां अछूत कौन होता है?

मां बोली नहीं मेरे बच्चे
जो पाखाना साफ करता है
घर द्वार और सड़कों की सफाई कर
हमें गंदगी से बचा, जीवनदान देता है
वह अछूत कैसे हो सकता है
रामू भंगी अछूत नहीं है।

मां, फिर अछूत कौन होता है?
सुन मेरे बेटे
अछूत हैं वे जो
खाने की चीज़ो मे मिलावट करते हैं
नकली दवाईयां बनाते और बेचते हैं
जनता को ठगते हैं
सबकी सेहत खराब करते हैं
दूसरों के जीवन से खेलते हैं
देश को कमजोर बनाते हैं
कभी मत छूना उन्हे
मत जाना उनके पास
वे अछूत हैं।
और कौन होता है अछूत?

वे जो शराब बनाते हैं
उसमे ज़हर मिलाते हैं
जिसे पीकर सैकड़ों रोज मरते हैं
एक बार नहीं, रोज बार-बार मरते हैं
परिवार को सताते हैं

बीबी बच्चों को भूखा से तड़पाते हैं
जो आप पीते हैं और दूसरों को
पिलाते हैं।
कभी न जाना उनके पास
वे अछूत हैं
तुम्हें भी अछूत बना देंगें।

मां, और कौन हैं अछूत?
वे हैं अछूत
जो अपनी पत्नी और पुत्री पर
हाथ उठाते हैं
दहेज के लालची हैं
पुत्र वधुओं को जलाते हैं
बेटियों को शिक्षा नहीं दिलाते हैं
बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं
स्त्रियों को रात दिन सताते हैं
आधो देश को अपंग बनाते हैं
अछूत हैं वे,
मत छूना उन्हें।

मां, और कौन हैं अछूत?
वे गुण्डे और खूनी
जो धन के लालची हैं
लोगों और बच्चों का अपहरण करते हैं
उन्हें सताते हैं
फिर धन की मांग करते हैं
जो लड़कियों को छेड़ते हैं
उनकी इज्जत लूटते हैं
वे लूटेरे और डाकू हैं अछूत।

सबसे बड़े अछूत हैं
वे मंत्री और नेता जो
केवल अपना भला सोचते हैं
जनता को धोखा देते हैं
अपराधी को मुक्त कराते हैं

बेगुनाह को सजा दिलवाते हैं
हर दिन खून करवाते हैं
देश के भविष्य को
राहू और केतू बनकर डस लेते हैं
अपने अंदर के सत्य का गला
घोटते हैं
अपनी आत्मा को धोखा देते हैं
अछूत हैं वे
जो कुछ सोने चांदी के सिक्कों के
लिए
बम और राकेट बनाते हैं
देशों को आपस में लड़वाते हैं
रिश्वतें देकर युद्ध करवाते हैं
हजारों को मरवाते हैं
मत छूना उन्हें
मत जाना उनके पास
वे सब अछूत हैं।

-डा. शैल अग्रवाल

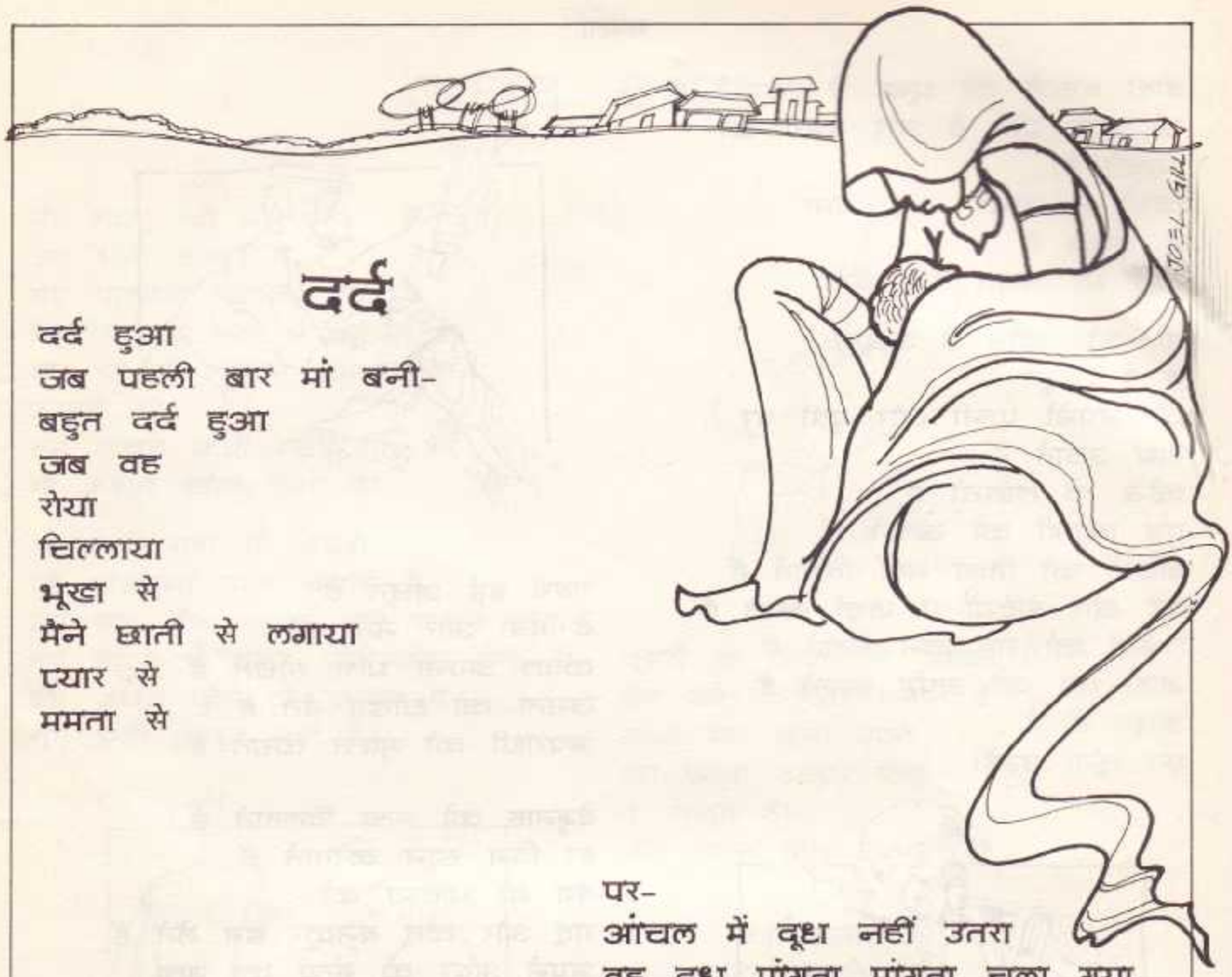

# दर्द

दर्द हुआ
जब पहली बार मां बनी-
बहुत दर्द हुआ
जब वह
रोया
चिल्लाया
भूखा से
मैंने छाती से लगाया
प्यार से
ममता से

पर-
आंचल में दूध नहीं उतरा
वह दूध मांगता मांगता चला गया
फिर कभी नहीं रोया
कभी नहीं चिल्लाया
वह सो गया हमेशा के लिए
लोगों ने कहा-
कैसी बेरहम मां है
बच्चे को दूध तक नहीं दे सकी
फिर पैदा क्यों किया
यह सवाल बहुत दर्द देता है
बर्दाश्त के बाहर।
वाकई....

- मणि

# बेटी का ख़तः मां के नाम

**प्यारी मां,**

सादर चरण स्पर्श।

आज मेरी शादी को पूरा एक साल हो गया है। और पूरे एक साल बाद ही मैं तुम्हें खत लिख रही हूं। अभी तक तुमसे नाराज़ थी। तुमने विकास से मुझे शादी जो नहीं करने दी थी। याद है मां मैं उस दिन तुमसे कितना झगड़ी थी। और जिस रोज विकास की शादी हुई थी उस दिन तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। धीरे-धीरे मैं अपना दुख भूल गई थी। और फिर समीर के साथ तुमने मुझे ब्याह दिया था।

मुझे याद है अपना बंचपन। याद हैं तुम्हारी सिसकियां। याद हैं पिताजी। तुमने पिताजी से अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। तुम बताती थीं। दो साल सब कुछ ठीक चला। फिर न जाने क्या हुआ। पिताजी बदल गए। तुम्हें रोज मारते-पीटते। खाना अच्छा बना हो तो भी थाली उठाकर फैंक देते। बुरा बना हो तो कहते मां ने कुछ भी नहीं सिखाया। कितनी रातें तुमने आंगन के कोने में सिसकते हुए गुजारी थीं। भूखी-प्यासी। मुझे बुआ भी याद है। वही तो छुप-छुपकर तुम्हें रोटी खिलाने आती थी। हल्दी चूना लगाती थीं। मां, बुआ कितनी अच्छी थी ना?

फिर एक दिन तुमने पिताजी का घर छोड़ दिया। बस, दो जोड़े कपड़े थैले में डाले और मुझे साथ लेकर निकल पड़ीं। समझ में नहीं आया क्यों? तुम आफिस से शाम को जल्दी घर आ गईं थीं। पिताजी मुझे अपनी गोद में चिपकाए खिला रहे थे। मैं करीब तीन साल की थी। कुछ पल तुम देखती रहीं। फिर गोदी से मुझे छीन चीखी। "तुम इस हद तक गिर जाओगे मुझे नहीं पता था।" और हम चले आए थे।

मैं जवान हुई। तुमने शेरनी की तरह मेरी हिफाज़त की। कहीं जाने-आने को मना नहीं किया, रोक-टोक नहीं लगाई। पर कोई भी बुरी नज़र डालता तो तुम काली का अवतार बन जातीं। सब ताने देते। अपना घर छोड़ आई। अब सती-सावित्री बनती है। तुमने किसी की परवाह नहीं की।

फिर विकास से मेरी दोस्ती हुई। विकास बहुत अमीर था। खूबसूरत था। मैं उससे शादी करना चाहती थी। बस, बेसुध सी हो गई थी मैं। जो विकास कहता मैं पहनती। जो विषय कहता वह पढ़ती। कहीं भी जाती तो उसकी इज़ाजत लेकर। खाती तो उसकी पसंद का। उसके मना करने पर गाना सीखना भी तो बंद कर दिया था। यहां तक कि वही सोचती जो विकास कहता। मैं पूरी तरह उसकी गुलाम हो गई थी।

तुम कहतीं, तू इसके साथ कभी सुखी नहीं रहेगी। यह तेरे पिताजी जैसा है। वह भी ऐसे ही थे। उनको भी मेरा गुलाम वाला रूप पसंद था। विकास भी ऐसा ही है। उस समय तुम्हारी यह

बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थीं।

**तुम कहा करती थीं शादी उससे करना जो तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि इंसान समझे। हमें इंसान समझा जाएगा तो हमारे गुणों और दोषों के साथ हमें अपनाया जाएगा। नहीं तो या तो हम मंदिर की देवी बन जाएंगी या चौखट का पायदान। दोनों ही स्थिति में जीना कठिन है।** पत्नी और पति एक गाड़ी के दो पहिए हैं। और गाड़ी में एक कार का और एक ट्रक का पहिया लगा हो तो संतुलन बिगड़ जाएगा। सरपट गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए बराबर होंगे। पति-पत्नी का मेल भी ऐसा होना चाहिए।

मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ विकास से शादी नहीं की। पर मैं दुखी रहने लगी। मुझे लगता था तुम स्वार्थी हो। फिर मैंने नौकरी शुरू की। अपने पैरों खड़ी हो गई। मुझे महसूस हुआ। आसपास के लोग मेरी इज्ज़त करने लगे। टीचर बनकर जैसे मैंने किला फतह कर लिया था।

मेरी कमाई में से एक भी पैसा तुम नहीं लेती थीं। कहतीं, **अपनी आय पर अपना नियत्रंण रखना भी हम औरतों को सीखना होगा। कमाने के साथ-साथ उसे अपनी मर्जी से खर्च कर पाएं यह भी जरूरी है। नहीं तो औरत महज एक पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह जाती है। गुलामी का एक पहलू यह भी है।**

तुम यह भी कहतीं, काम करना नहीं छोड़ना। इससे तुम्हारी पहचान कायम रहेगी। सिर्फ़ किसी की पत्नी व मां बनकर रहना नहीं पड़ेगा। हमारे समाज में औरत हमेशा किसी मर्द के नाम से ही जानी जाती है। थोड़ी बहुत पहचान जो भी होती है वह पुरुष की वजह से ही होती है। पर तुझे

अपनी खुद की पहचान बनानी है।

समीर को तुमने ही पसंद किया था। मेरी शादी हो गई। मुझे हमेशा लगता रहा कि समीर विकास जैसा नहीं है। हां, सच मां, वह बहुत अलग है। वह मुझे इंसान समझता है। मेरे सुख-दुख में सहारा बनकर रहता है। मुझे मान और प्यार देता है। विकास और समीर का फर्क उस समय समझ नहीं आया था। अब समझ गई हूं।

मां, इतने दिन तक जो तुम्हें गलत समझा उसके लिए माफी चाहती हूं। मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया मां। इस खत के जरिए मैं अपने जैसी तमाम लड़कियों के लिए संदेश दे रही हूं। आपने जिस मजबूती से मुझे गढ़ा है वह जीवन भर मेरा हौसला बढ़ाता रहेगा मां।

बहुत-बहुत प्यार के साथ
**तुम्हारी बेटी**

# वक्त आ गया है ख़ामोशी तोड़ें

जुही

**वक्त आ गया है कि खामोशी तोड़ी जाए। परिवार के अंदर हो रही मनमानी बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले औरतें खामोशी तोड़ें। अपने घर में हो, चाहे पड़ौस में, ऐसी घटना के बारे में बात करें। ...याद रखें, इस बातचीत से घर की इज्ज़त दांव पर नहीं लग रही। जब घर में बच्चियों/औरतों पर यह अत्याचार हो रहा है तो हम कौन-सी इज्ज़त बचाने का दावा कर रहे हैं।**

## आपबीती एक

शमा एक ग़रीब परिवार में जन्मी। बाप मिल में चौकीदार, घर में दो छोटे भाई और एक बहन। शमा घरों में चौका बर्तन करती। परिवार के खर्चे में मदद करती। शमा की उम्र है सोलह वर्ष। कुछ दिन पहले शमा का बाप उसे बस्ती के डाक्टर के पास ले गया। पता चला शमा को सात माह का गर्भ है। बाप किसी भी कीमत पर गर्भ गिरवाना चाहता है। डाक्टर ने इंकार किया। मुहल्ले में बात फैल गई।

शमा अपने दोनों भाई बहन को चिपटाए रोती हुई कहती है। बच्चा मेरे बाप का है। बाप कहता है न जाने किसका पाप है। दस कोठी का काम है।

महिला समूह को खबर लगी। डराया-धमकाया। बाप फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। मुहल्ले वालों ने उल्टे शमा को ताने दिए। भीड़ छंट गई। बाप ने रातों-रात शमा की शादी कर दी। पता नहीं अब शमा का क्या हाल है। पर हां, बाप खुले-आम सर उठाकर घूम रहा है।

## आपबीती दो

मीना की मां बारह साल की मीना को उसके चाचा के पास छोड़ गई। शहर में बच्ची पढ़-लिख जाएगी। गांव में तो कुछ नहीं कर सकेगी। देवर प्राइवेट फर्म में मैनेजर था। उसकी अपनी बेटी भी मीना की उम्र की थी। कुछ माह बाद मां मीना को मिलने शहर आई। सब ठीक था। मीना खुश थी। मां देवर को हर महीने कुछ भेजती रहने का वादा करके चली गई।

कुछ महीनों बाद मां को मीना की चाची का ख़त मिला। फौरन चली आओ। चाची ने बताया

चाचा मीना और अपनी बेटी के साथ रोज बलात्कार करता है। चाची मना करती है तो उसे बुरी तरह मारता-पीटता है। घर की बात है, खामोश रहने के अलावा क्या कर सकते हैं। अब चाचा चाची को घर से निकालना चाहता है क्योंकि वह इन अन्याय कसा विरोध करती है। क्या करें?

### आपबीती तीन

रोमी तीन साल की थी जब उसका भाई उसके सामने अपने सारे कपड़े उतारकर खड़ा होता था। वह सहम जाती थी। आठ साल तक यह सिलसिला चलता रहा। भाई मंत्रालय में उच्च पदाधिकारी है। खूब पैसा, इज्ज़त, रोब है। रोज रोमी को अपने साथ होटल ले जाता। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गंदी फिल्में देखता। शराब पीता। फिर सब मिलकर बलात्कार करते।

रोमी की भाभी को जब यह पता चला तो उसने अपने पति को रोका। जब वह नहीं माना तो उसने खामोशी तोड़ी। पुलिस में रपट लिखवाई। नाते-रिश्तेदारों से मदद मांगी। महिला समूह की मदद से पति को बंद करा दिया।

मुकदमे का फैसला होना अभी बाकी है। क्या होगा पता नहीं। पर कम से कम एक वहशी के खिलाफ़ आवाज़ तो उठी।

### 'मिथक' टूटे

इन तीनों आपबीतियों से 'सुरक्षित' परिवारों के अंदर होने वाली ज्यादतियों का पता चलता है। साथ ही कुछ 'मिथक' भी टूटते हैं।

— परिवार में यौन हिंसा सिर्फ़ निम्न वर्ग में नहीं हैं।
— यह न तो कोई मानसिक बीमारी है, न ही विकृत मानसिकता का नतीज़ा।
— यह अनपढ़-गरीब के अलावा, मध्यम और उच्च वर्ग में आम बात है।

आज खुलकर इन सवालों पर हर जगह चर्चा हो रही है। औरतों को एहसास हो रहा है कि जोर-जबरदस्ती सहना उनकी फितरत नहीं है। वे इंसान हैं और उन्हें अपने ऊपर होने वाली हिंसा का डटकर विरोध करना होगा। आंकड़ों से हमें पता चलता है कि ऐसे बलात्कारी पढ़े-लिखे, गरीब-अमीर, इंजीनियर, अफ्सर कुछ भी हो सकते हैं। ये पागल नहीं होते। ये हमारे आसपास घर के भीतर रहने वालों में ही छुपे होते हैं।

---

**यह पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर होने वाला एक और अत्याचार है। औरत को शारीरिक ताकत से अपने वश में करना। अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना। यह ऐसा करने का तरीका मात्र है। बलात्कारी ऐसा करके अपनी ताकत दिखाता है और उसका दुरुपयोग कर अपनी मनमानी करता है।**

---

### खामोशी क्यों?

सवाल यह उठता है इस विषय पर समाज चुप्पी क्यों साधे है। इस पर से पर्दा उठाने की

जिम्मेदारी सिर्फ औरतों-बच्चियों पर ही क्यों? क्यों घरेलू मामला कहकर इसे दबाया जाता है।

जवाब है क्योंकि परिवार पितृसत्ता के ढांचे का मुख्य स्तंभ है। इसी से पितृसत्ता पनपती है। और पुरुष अपनी इस सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते। घर की औरतें अपनी मजबूरी के कारण चुप रहती हैं। अगर कुछ बोलतीं हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। पर अधिकांश समय औरत/लड़की इसलिए खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनका ऐतबार नहीं करेगा। अदालत, पुलिस कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है।

अब वक्त आ गया है कि खामोशी तोड़ी जाए। परिवार के अंदर हो रही मनमानी बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले औरतें खामोशी तोड़ें। अपने घर में हो, चाहे पड़ौस में, ऐसी घटना के बारे में बात करें। अगर कोई बच्ची इस बारे में बोलती है तो उसकी बात सुनें। उसे सहारा दें। उसे चुप न कराएं। स्कूलों और घरों में ऐसा माहौल बनाएं जहां पारिवारिक हिंसा की बात हो सके। ऐतबार करना सीखें।

याद रखें, इस बातचीत से घर की इज्ज़त दांव पर नहीं लग रही। और फिर जब घर में बच्चियों/औरतों पर यह अत्याचार हो रहा है तो फिर हम कौन-सी इज्ज़त बचाने का दावा कर रहे हैं? □

# इनसे प्रेरणा लें

कभी-कभी हम सोचते हैं, दुनिया इक्कीसवीं सदी में पहुंच रही है। पर हम औरतों की हालत में कोई खास फ़र्क नहीं आया। तो फिर इस कम का फायदा क्या? हम आज भी गैर-बराबरी और अन्यायी पितृसत्ता के ढांचे में जी रहे हैं।

ऐसे समय हमारी मायूसी दूर करते हैं, जगह जगह औरतों के प्रेरणादायक-उत्साही अनुभव। ये औरतें और इनके ये संघर्ष अनदेखे और गुमनाम ही रह जाते हैं। ये अक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कठिनाइयों का सामना करने का साहस देते है। आइए, आज कुछ ऐसी ही सबलाओं से मिलते हैं। इनकी आपबीती सुनें और एक नये जीवन की खोज की प्रेरणा लें।

## रजनी की हिम्मत

रजनी की शादी बंगलौर में हुई। उसका पति वहां किसी होटल में खाना खिलाने का काम करता था। ससुराल में विधवा सास और दो देवर थे। शादी के दो सालों में उसको एक बेटी हो गई। समय गुज़रा। पति उसे बहुत प्यार करता था। सलाह-मशविरा करके ही कोई काम करता था। सास को यह बर्दाश्त न हुआ। डर लगा कहीं बेटा बहू को लेकर अलग न हो जाए। बुरे दिन आए रजनी पर। उसके पति को किसी ने जहर दे दिया। रोती-पीटती रजनी मायके आ गई। मायके में पिता और भाई ने उसे भरपूर प्यार दिया। रजनी फिर भी सोचती। ऐसे कब तक चलेगा। उसने तय

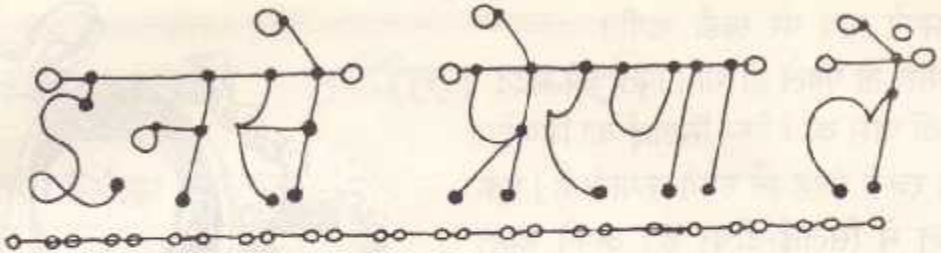


कभी-कभी हम सोचते हैं, दुनिया इक्कीसवीं सदी में पहुंच रही है। पर हम औरतों की हालत में कोई खास फ़र्क नहीं आया। तो फिर इस काम का फायदा क्या? हम आज भी ग़ैर-बराबरी और अन्यायी पितृसत्ता के ढांचे में जी रहे हैं।

ऐसे समय हमारी मायूसी दूर करते हैं, जगह जगह औरतों के प्रेरणादायक-उत्साही अनुभव। ये औरतें और इनके ये संघर्ष अनदेखे और गुमनाम ही रह जाते हैं। ये अक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कठिनाइयों का सामना करने का साहस देते हैं। आइए, आज कुछ ऐसी ही सबलाओं से मिलते हैं। इनकी आपबीती सुनें और एक नये जीवन की खोज की प्रेरणा लें।

### रजनी की हिम्मत

रजनी की शादी बंगलौर में हुई। उसका पति वहां किसी होटल में खाना खिलाने का काम करता था। ससुराल में विधवा सास और दो देवर थे। शादी के दो सालों में उसको एक बेटी हो गई। समय गुज़रा। पति उसे बहुत प्यार करता था। सलाह-मशविरा करके ही कोई काम करता था। सास को यह बर्दाश्त न हुआ। डर लगा कहीं बेटा बहू को लेकर अलग न हो जाए। बुरे दिन आए रजनी पर। उसके पति को किसी ने जहर दे दिया। रोती-पीटती रजनी मायके आ गई। मायके में पिता और भाई ने उसे भरपूर प्यार दिया। रजनी फिर भी सोचती। ऐसे कब तक चलेगा। उसने तय

किया वह अपने पांव पर खड़ी होगी।

आठवीं पास तो पहले ही थी। पिता की मदद से उसने दसवीं पास की। फिर सिलाई का डिप्लोमा किया। आज रजनी पंद्रह सौ रुपये कमाती है। एक पब्लिक स्कूल में सिलाई-टीचर है। अपने स्कूल में ही उसने अपनी बेटी को दाख़िल करा लिया है। उसने अपनी सास और देवर पर मुकदमा किया। दोनों को सज़ा हो गई। आज रजनी खुश है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी संवार ली है।

### शबनम बी ने हक़ पाया

शबनम बी एक पढ़ी-लिखी, मध्यम परिवार की लड़की थीं। बी.ए. पास करते ही मां-बाप ने शादी तय कर दी। पति डाक्टर था। ससुराल में सभी से मान-प्यार मिला। चार साल गुजर गए। एक दिन उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। स्कूटर दुर्घटना में पति गुजर गए।

शबनम बी पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया। दो बच्चे थे। दोनों जुड़वां, साल भर के, दोनों विकलांग। इधर पति गुजरा, उधर ससुराल वालों ने उसे अभागिन-अशुभ मानना शुरू किया। जेठ ने भी शबनम बी पर बुरी नजर डाली। अब आसरा सिर्फ मायके का ही था। पर मायके से भी साफ़ हरी झंडी मिल गई। मां-बाप बोले-तू यहां रहेगी तो ससुराल का हिस्सा गंवा देगी। वैसे यह तेरा घर है। अक्लमंद को इशारा काफी। शबनम की रही-सही आस भी जाती रही।

शबनम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक घर में बच्चे पालने की नौकरी कर ली। पैसे जोड़े, अपने नाम से जमीन खरीदी और उस पर दो कमरे का मकान बनाया। साथ ही ससुराल की जायदाद में अपने हिस्से का दावा किया। लंबी लड़ाई के बाद

उसे हक़ मिला। है न इनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल।

### रोज़ी की लगन

बचपन से ही रोज़ी गूंगी-बहरी थी। उसका एक हाथ भी दुर्घटना में कट गया था। रोज़ी के मां-बाप ने उसे बी.ए. पास कराया। फिर सोचा कोई अच्छा लड़का देख शादी कर दें। पर रोज़ी ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने सेक्रेटरी का दो साल का कोर्स किया। पर टाइपिंग नहीं कर पाती थी।

रोज़ी को अपनी एक सहेली से पता चला कि आजकल अस्पताल में कृत्रिम अंग लगने की संभावना है। सहेली के साथ रोजी अस्पताल गई। वहां उसको लकड़ी का हाथ लगाया गया। अब रोज़ी ने अभ्यास किया। दोनों हाथों से आज वह हमारी-आपकी तरह काम कर सकती है। उसने शादी न करने का फैसला किया है। एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की नये सिरे से शुरुआत करके बहुत सुखी है। □

# मैं लक्ष्मण की उर्मिला नहीं

मैं आंसू नहीं बहाना चाहती
एक छितराए मानचित्र पर
घुलना नहीं चाहती
मूर्ति के दीये की तरह
अब और नहीं पिघल सकती मैं
किसी सेविका के कक्ष में
एक भूली हुई मोमबत्ती की तरह
और न ही खुद को शलभ भांति
न्यौछावर करना चाहती
व्यर्थ की लपट में
क्योंकि
मैं लक्ष्मण की उर्मिला नहीं
जिसने धैर्य की मौन प्रतिमा बन
काट लिए अनवरत् प्रतीक्षा में
चौदह वर्ष बनवास के
मुझे अब इस अकेली प्रतीक्षा की
कोई शेष चाह नहीं
मैं तो वह नदी हूं
जो गरजते समुद्र की ओर
नहीं दौड़ना चाहती
बहना चाहती हूं चुपचाप
अपने लक्ष्य की ओर

-रेणु